कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2020/वो–2/145 दिनांक : 03/08/2022

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
एवं पदेन बी.आर.सी.एफ.,
समग्र शिक्षा।

विषय :– आहरण वितरण अधिकार (03 Power) हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण के माध्यम से ऑन लाईन प्रेषण करने बाबत ।

प्रसंगः– क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–पेंशन/03/2020 दिनांक : 22.07.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय उच्च माध्यमिक श्रेणी के विद्यालयों में संस्था प्रधान का पद रिक्त होने अथवा लगातार लम्बे अवकाश पर होने की परिस्थिति में उस विद्यालय के आहरण वितरण अधिकार (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–I के नियम 3(क)) हेतु प्रस्ताव सीबीईओ/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से निर्धारित प्रपत्र में भरकर ई–मेल द्वारा प्रेषित किये जाते हैं। उक्त कार्य को सरल एवं डिजीटीकरण करते हुए शाला दर्पण पोर्टल https://rajshaladarpan.nic.in पर आहरण वितरण अधिकार (03 Power) मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। सीबीईओ कार्यालय निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना करते हुए प्रस्ताव प्रेषित करें–

1. आहरण वितरण अधिकार (03 Power) मॉड्यूल समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं सीबीईओ लॉगिन पर प्रारंभ किया गया है।
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्थाप्रधान का पद रिक्त होने पर विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। संबंधित विद्यालय में व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का पद रिक्त होने पर ब्लॉक परिक्षेत्र में निकटतम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य/व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।
3. सीबीईओ कार्यालय स्कूल स्तर से प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव का भंली–भांति परीक्षण करें। प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की खामी होने पर उसको निरस्त करते हुए पुनः लौटाने की व्यवस्था मॉड्यूल में की गई है। नियमान्तर्गत आहरण वितरण अधिकार हेतु अधिकारी का चयन कर प्रस्ताव निदेशालय भिजवाने का अंतिम निर्णय/दायित्व सीबीईओ कार्यालय का होगा।
4. प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकार हेतु चयन ऐसे का किया जाए जिसके पास पूर्व में किसी भी कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार नहीं हो। नियमान्तर्गत अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे अधिकारी का प्रस्ताव भेजा जा सकता है जिसके पास एक से अधिक कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार हो परन्तु किसी भी स्थिति में प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकारी के पास पूर्व से ही 2 से अधिक कार्यालयों का आहरण वितरण अधिकार नहीं होना चाहिए।

5. सीबीईओ कार्यालय शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल (03 Power) पर विद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित अधिकारी जिसके विरूद्ध विभागीय जांच /चोरी–गबन आदि का प्रकरण बकाया न हो, अग्रेषित किया जायेगा।
6. **दिनांक 10.08.2022 से आहरण वितरण अधिकार हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण मॉड्यूल द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे । इस तिथि बाद ई–मेल एवं ऑफलाईन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएगे।**
7. मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालय एवं सीबीईओं कार्यालय अपनी लॉगिन से प्रस्ताव के स्टेट्स (status) की जानकरी ले सकते है। निदेशालय स्तर से प्रस्ताव स्वीकार होने पर आदेश की प्रति स्कूल लॉगिन पर मॉडयूल के माध्यम से उपलब्ध होगी।

संलग्न :–03 Power Moudle(User Manual)

गौरव अग्रवाल
(आई.ए.एस)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2020/वो–2/145 दिनांक 03/08/2022
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी,जयपुर को प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त मॉड्यूल दिनांक 10.08.2022 से शालादर्पण पर live करवाने का श्रम करावें।
4. समस्त संभागीय सयुंक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
7. उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
8. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. लेखाधिकारी पेंशन एवं स्थिरीकरण अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
11. वरिष्ठ संपादक, शिविरा प्रकाशन, कार्यालय हाजा को आगामी शिविरा अंक में प्रकाशित करने बाबत्।
12. समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(शालादर्पण)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर